COVID-19 डाक/ईमेल/अपलोड

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकःएफ 17(26) खा.वि./न्याय/72–III जयपुर, दिनांकः 28.03.2020

समस्त,
जिला कलक्टर,
समस्त,
जिला रसद अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः– प्रदेश में लॉकडाउन अवधि में भारतीय खाद्य निगम से भुगतान के आधार पर गेहूं उठाकर उपलब्ध कराने के संबंध में।

सन्दर्भः– विभागीय आदेश क्रमांकःएफ 17(26) खा.वि./न्याय/72–II दिनांक : 25.03.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने पत्र क्रमांक– No. J.(1) /2019-20/ OMSS (D) /BC/S.III/Vol.III के द्वारा गेंहू एवं चावल की आकस्मिक कमी को देखते हुये राज्यों में कोई भी क्रेता खाद्य निगम से गेंहू/चावल उनके द्वारा निर्धारित दरों पर जिला मजिस्ट्रेट की अभिशंसा पर प्राप्त कर सकता है उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में आपके जिले से भारतीय खाद्य निगम से क्रेताओं द्वारा उठाये गये गेंहू के सम्बन्ध में निम्नाकित निर्देश जारी किये जाते है–

1. गेहूं का रिलीज आदेश किसी आटा मील/चक्की/रोलर फ्लोर मिल को दिए जाने पर उनसे उत्पादित आटे की उचित बिक्री दर जिला कलक्टर/जिला रसद अधिकारी द्वारा निर्धारित की जायेगी। राशी का निर्धारण पिसाई की छीजत, बची हुई चापड़ की बिक्री, लोडिंग/अनलोडिंग, परिवाहन व्यय, पैकिंग व्यय, पिसाई के व्यय और अन्य लागत को दृष्टीगत रखते हुए किये जायेंगे।
2. आटा मील/चक्की/रोलर फ्लोर मिल से इस आशय का बंध पत्र लिया जावे कि भारतीय खाद्य निगम से लिए गए गेहूं का उत्पादित आटे को निर्धारित दर पर ही जिला कलक्टर/जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार बिक्री/वितरित किया जावेगा। आटे के उत्पादन में प्रयोग किये जाना वाले गेहूं को अन्य घटिया सामग्री से अपमिश्रित नहीं किया जायेगा।
3. जिला रसद अधिकारी के द्वारा उक्त उत्पादित आटे का समस्त विवरण संधारित किया जावेगा और मुख्यालय को दैनिक अवगत कराया जायेगा।
4. उपरोक्त निर्देशों की पालना के लिए यदि आवश्यकता हो तो आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तगर्त जिला कलक्टर को दि गई शक्तियों के तहत आदेश जारी कर उक्त निर्देशों की पालना कड़ाई से की जावे ताकि गेहूं का उपयोग जरूरतमन्दों के लिए ही उचित मूल्य पर हो सके

28/3/2020

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव